...लय उपखण्ड अधिकारी, बाली, जिला–पाली(राजस्थान)

...ठासीन अधिकारी : श्री श्रीनिधि. बी.टी, आई.ए.एस.

राजस्व विविध प्रकरण संख्या : 91/2014 RCMS No. 2014/00127

दायरा तिथि : 19.09.2014

आदेश तिथि 11-11-2019

प्रार्थी :–

सम्पतराज पुत्र वरदीदासजी जाति साद
निवासी बारवा तहसील बाली जिला पाली (राजस्थान)

बनाम

अप्रार्थीगण :–

1. कैलाशकुमार पुत्र हनुमानदासजी
2. ओम प्रकाश पुत्र हनुमानदासजी
3. श्रीमति चन्दा पत्नि ओम प्रकाशजी जातिगण साद (वैष्णव)
   निवासीगण बारवा तहसील बाली जिला पाली (राजस्थान)

उपस्थितिः–

1. श्री गणपतलाल चौधरी — अधिवक्ता प्रार्थी की और से
2. श्री अमृत परिहार — अधिवक्ता अप्रार्थीगण की ओर से

–:: आदेश ::– दिनांक 11-11-2019

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं। प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्व अप्रार्थीगण पेश कर निवेदन किया कि सरहद मौजा बारवा तहसील बाली में स्थित भूमि खसरा नंबर 1476 रकबा 0.48 हैक्टर, खसरा नंबर 1477 रकबा 0.01 हैक्टर, खसरा नंबर 1478 रकबा 0.15 हैक्टर, खसरा नंबर 1479 रकबा 0.24 हैक्टर, खसरा नंबर 1480 रकबा 0.21 हैक्टर, खसरा नंबर 1481 रकबा 0.65 हैक्टर, खसरा नंबर 1482 रकबा 0.23 हैक्टर, खसरा नंबर 1483 रकबा 0.24 हैक्टर, खसरा नंबर 1484 रकबा 0.25 हैक्टर खसरा नंबर 1485 रकबा 0.25 हैक्टर, खसरा नंबर 1486 रकबा 0.21 हैक्टर खसरा नंबर 1487 रकबा 0.29 हैक्टर कुल खसरा–12 कुल रकबा 3.21 हैक्टर प्रार्थी व उसके परिवारजनो की संयुक्त खातेदारी की भूमि है, जिस पर प्रार्थी व उसके परिवारजन अपने हक हिस्से पर काबिज होकर शांतिपुर्वक काश्त करते आ रहे हैं। प्रार्थी अपने हक हिस्से की खातेदारी भूमि पर काश्त का कार्य अन्य लोगो से करवाता है व स्वयं भी करता हैं। दिनांक 06.09.2014 को प्रार्थी के बेरे पर प्रार्थी के आदमी उनकी बोई हुई फसल की देखरेख कर रहे थे तथा फसल में निराई गुडाई कर रहे थे, उसी समय अप्रार्थी संख्या 01 से 03 मौके पर गये और प्रार्थी के काश्तकारो को गाली गलौच करने की धमकी दी तथा फसल को नष्ट करने की धमकी दी। वादग्रस्त भूमि में प्रार्थी व उसके परिवारजन सह खातेदार है, प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि में हिस्से अनुसार खेती करने के लिये स्वतंत्र है, परन्तु अप्रार्थी संख्या 01 से 03 प्रार्थी को उसके हिस्से व कब्जे की भूमि पर काश्त करने से रोकते है तथा मौके से बेदखल करने की धमकी देते है, जिसके प्रार्थी ने अप्रार्थीगण के विरूद्व सार्वकालिक निषेधाज्ञा का वाद पेश किया है, जिसके निस्तारण में समय लगेगा एवं इस दौरान् यदि अप्रार्थीगण अपने मनसूबो में सफल हो जाते है तो प्रार्थी को भारी असुविधा एवं आर्थिक कठिनाईयो का सामना करना पडेगा तथा प्रार्थी को अपने विधिक हकूको से वंचित होना पडेगा, अतः प्रस्तुत वाद के निर्णय तक प्रार्थी के पक्ष में व अप्रार्थीगण संख्या 01 से 03 के विरूद्व इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने का निवेदन किया कि प्रार्थी के हक व अधिकार एवं कब्जे काश्त की भूमि में वाद के निस्तारण तक अप्रार्थीगण किसी प्रकार की दखलन्दाजी नहीं करावे। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया तथा दिनांक 19.09.2014 को प्रथम दृष्ट्या मामला प्रार्थी के पक्ष में पाया जाने से न्यायालय द्वारा प्रार्थी के अनुरोध पर प्रकरण में एक पक्षीय अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा पारित की गई, तथा अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण ने अधिवक्ता श्री अमृत परिहार के माध्यम से प्रार्थी के प्रार्थना पत्र का जबाव पेश करते हुये निवेदन किया कि प्रार्थी ने मिथ्या, बेबूनियाद एवं काल्पनिक कथन करते हुये गलत रूप से वाद एवं उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया है, अस्थाई निषेधाज्ञा हेतु सह खातेदारान् के विरूद्व प्रार्थी का प्रार्थना पत्र कानूनी तौर से परिपोषणीय नहीं हैं।

उपखण्ड अधिकारी, बाली

कार्यालय उप-खण्ड अधिकारी बाली, जिला-पाली (राज.)

पेज लगातार..02

Scanned by CamScanner

राजस्व विविध प्रकरण संख्या 91/2014 RCMS No. 2014/00127

अनवान सम्पतराज बनाम कैलाशकुमार वगैरा अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

अप्रार्थीगण भी वादग्रस्त कृषि भूमि के सह खातेदार है तथा वादग्रस्त कृषि भूमि पर बहैसियत सह खातेदार काबिज है, यदि अप्रार्थीगण के विरूद्व अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है तो अप्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति होगी। जिसका मूल्यांकन किया जाना संभव नहीं होगा जबकि अस्थाीय निषेधाज्ञा का आवेदन खारिज किये जाने की स्थिति में प्रार्थी को विधिक एवं वास्तविक तोर से कोई क्षति हाने वाली नहीं हैं। अपने जबाव में विशेष कथन उल्लेखित करते हुये निवेदन किया कि प्रार्थी ने वादग्रस्त भूमि के अधिकार अभिलेखों में दर्ज सभी खातेदार को पक्षकार नहीं बनाया है, जिससे पक्षकारो के असंयोजन **Non joinder of Parties** की वजह से एवं प्रार्थना पत्र में उल्लेखित कथनो की पुष्टि में वादग्रस्त कृषि भूमि में स्वयं को निहित हिस्से एवं स्वयं की बंट कब्जे की कथाकथित कृषि भूमि के खसरा नंबर, क्षेत्रफल के विवरण पेश नहीं किये है, जिससे प्रार्थना पत्र कानूनन परिपोषणीय नहीं होने से खारिज किये जाने का निवेदन किया। अप्रार्थीगण द्वारा जबाव में विशेष कथन उल्लेखित करने से वकील प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के जबाव का जबाबबुल जबाव पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र विधिक प्रावधानो के अधीन ही सही तौर से प्रस्तुत किया है, जिसमें किसी तथ्य को छिपाया नहीं गया है। अप्रार्थीगण ही प्रार्थी व उसके परिवारजनो को उनके हिस्से बंट की भूमि में काश्त करने से रूकावट करते है, जिससे अप्रार्थीगण के विरूद्व ही वाद एवं उक्त अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र पेश किया है, अन्य सह खातेदार प्रार्थी के काश्त में किसी प्रकार की रूकावट या बाधा उत्पन्न नहीं करते है, जिससे उन्हे पक्षकार नहीं बनाया गया है। अप्रार्थीगण ने भी कोई काऊण्टर क्लेम या जोत विभाजन का वोद पेश नहीं किया है, जिससे अप्रार्थीगण द्वारा विभाजन के लिये प्रार्थी को विभाजन का वाद प्रस्तुती के लिये बाध्य नहीं किया जा सकता। प्रार्थी ने विभाजन के लिये कभी मना नहीं किया, यदि अप्रार्थीगण विभाजन का वाद लाते है तो प्रार्थी विभाजन कराने के लिये तैयार है, प्रार्थी ने उक्त वाद एवं प्रार्थना पत्र तो अप्रार्थीगण द्वारा उसके हिस्से की भूमि में काश्त में दखलंदाजी करने से पेश किया है, न कि अप्रार्थीगण के हिस्से की भूमि के संबध में अस्थाई निषेधाज्ञा चाही है, प्रार्थी ने विधि अनुसार अपने हकूको की रक्षा के लिये वाद एवं प्रार्थना पत्र पेश किया है, अतः अप्रार्थीगण के जबाव में उल्लेखित विशेष कथनो को खारिज करते हुये प्रार्थी के पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने का निवेदन किया।

प्रकरण में जबाबबुल जबाव प्राप्त होने पर उभय पक्ष वकुलाय की बहस सुनी गई। विद्ववान् वकील प्रार्थी श्री गणपतलाल चौधरी ने बहस में प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यों को दोहराते दलील दी वादग्रस्त भूमि बारवा तहसील बाली में स्थित भूमि खसरा नंबर 1476 रकबा 0.48 हैक्टर, खसरा नंबर 1477 रकबा 0.01 हैक्टर, खसरा नंबर 1478 रकबा 0.15 हैक्टर, खसरा नंबर 1479 रकबा 0.24 हैक्टर, खसरा नंबर 1480 रकबा 0.21 हैक्टर, खसरा नंबर 1481 रकबा 0.65 हैक्टर, खसरा नंबर 1482 रकबा 0.23 हैक्टर, खसरा नंबर 1483 रकबा 0.24 हैक्टर, खसरा नंबर 1484 रकबा 0.25 हैक्टर खसरा नंबर 1485 रकबा 0.25 हैक्टर, खसरा नंबर 1486 रकबा 0.21 हैक्टर खसरा नंबर 1487 रकबा 0.29 हैक्टर कुल खसरा–12 कुल रकबा 3.21 हैक्टर प्रार्थी व उसके परिवारजनो की संयुक्त खातेदारी की भूमि है, जिस पर प्रार्थी व उसके परिवारजन अपने हक हिस्से पर काबिज होकर शांतिपुर्वक काश्त करते आ रहे हैं। जिस संयुक्त सह खातेदारी की कृषि भूमि में अप्रार्थी संख्या 01 से 03 प्रार्थी व उसके परिवारजनो को मौके से बेदखल करने तथा काश्त में व्यवधान पैदा करने से प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के विरूद्व सार्वकालिक निषेधाज्ञा का वाद पेश किया है, जिसके निस्तारण में समय लगेगा, अतः प्रस्तुत वाद के निर्णय तक अप्रार्थीगण के विरूद्व धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के प्रावधानो अनुसार अस्थायी निषेधाज्ञा जारी किये जाने की दलील दी। वकील अप्रार्थीगण द्वारा जबाव में उल्लेखित कथन कि सह खातेदार काश्तकार के विरूद्व किसी प्रकार की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती, के खण्डन स्वरूप दलील दी कि प्रार्थी अपने हिस्से बंट व कब्जे की भूमि में अप्रार्थीगण के विरूद्व अस्थायी निषेधाज्ञा चाह रहा है, अप्रार्थीगण उनके हिस्से बंट की भूमि में काश्त करे, उनके हिस्से के संबध में किसी प्रकार की अस्थायी निषेधाज्ञा की मांग नहीं की है। इस संबध में विद्ववान् वकील प्रार्थी ने बहस के दौरान् **R.R.D. 1980** पेज 440 में प्रतिपादित सिद्वान्तो की ओर न्यायालय का ध्यान आकृष्ट करते हुये प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार करते हुये प्रार्थी के हिस्से, बंट एवं कब्जे काश्त की भूमि में अप्रार्थीगण दखलन्दाजी नहीं करे, इस हेतु प्रार्थीगण के पक्ष में एवं अप्रार्थीगण के विरूद्व अस्थायी निषेधाज्ञा वाद के निर्णय तक जारी किये जाने की दलील दी। वकील प्रार्थी की दलीलो का खण्डन करते हुये वकील अप्रार्थीगण श्री अमृत परिहार ने बहस में जबाव के उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुये दलील दी कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण तथा अन्य सह खातेदारो के सह खातेदारी की भूमि है, प्रार्थी ने

पेज लगातार.....03

Scanned by CamScanner

अधिकार अभिलेखों में दर्ज सभी खातेदारो को पक्षकार नहीं बनाते हुये केवल अप्रार्थीगण को पक्षकार बनाते हुये सार्वकालिक निषेधाज्ञा का वाद एवं उक्त अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र पेश किया है, जो विधि के प्रावधानो अनुसार पक्षकारो के असंयोजन Non joinder of Parties की वजह से चलने योग्य नहीं है, इसके साथ ही दलील दी कि एक सह खातेदार अविभाजित संयुक्त सह खातेदारी कृषि भूमि में दूसरे सह खातेदार के विरूद्व किसी प्रकार का वाद या अस्थायी निषेधाज्ञा का वाद नहीं ला सकता है, जिससे प्रार्थी के उक्त प्रकरण में प्रथम दृष्ट्या मामला, सुविधा का संतुलन व अपुरणीय क्षति के बिन्दु अप्रार्थीगण के पक्ष में बनने से प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारिज किये जाने की दलील दी गई। अपनी दलीलो के समर्थन में वकील अप्रार्थी द्वारा निम्न कानूनी उद्धहरण पेश किये गये:–

1. RRT 2011- 12(supp.) पेज 192 से 195 जिसके अनुसार– राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 धारा 212– राजस्व अपील प्राधिकारी ने अस्थायी निषेधाज्ञा का आदेश अपास्त किया– वादीगण द्वारा निगरानी– मौके पर भूमि का विभाजन नहीं तथा भूमि सह–खातेदारी की है– रेकॉर्डेड सह खातेदार के विरूद्व अस्थायी निषेधाज्ञा का आदेश स्वीकार करना उचित नहीं हैं– मकान व बाडा किस खसरा नम्बर में बनाये कमिश्नर रिपोर्ट में स्पष्ट नहीं हैं– निर्णित, राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा अनियमितता अथवा क्षेत्राधिकारित की त्रुटि नहीं की गई हैं।

2. RRT 2005(2) पेज 778 से 781 जिसके अनुसार– राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955– धारा 212 –विचारण न्यायालय ने राजस्व अभिलेख में व मौके पर यथवत् स्थिति रखने का आदेश दिया और भूमि को अन्तरित करने से रोका– प्रार्थी व अप्रार्थी क. 5 व 6 प्रत्येक 1/2 हिस्से के खातेदार हैं– कब्जे के बारे में विचारण न्यायालय का निष्कर्ष नहीं– धारा 212 के अन्तर्गत आवेदन में अप्रार्थीगण क्रं0 5 व 6 को पक्षकार नहीं बनाया और सह– खातेदारो की अनुपस्थिति में यह चलने योग्य नहीं हैं– ऐसा आवेदन पर अस्थायी निषेधाज्ञा मंजूर करना विधि सम्मत नहीं था– आवेदन पर विधिक रूप से विचार नहीं किया गया– निर्णीत, आदेश अपास्त किया व मामला प्रति प्रेषित किया।

3. RRT 2004(1) पेज 365 से 368 जिसके अनुसारराजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955– धारा 212 विक्रय पत्र के आधार पर "एस., आर." के पक्ष में नामान्तरकरण तस्दीक किया– प्रतिवादी " एस, आर" के विरूद्व अस्थायी निषेधाज्ञा प्रदान की– राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा आदेश यथावत रखा गया– निगरानी– प्रार्थी सह–काश्तकार है तथा बराबर हिस्स का हकदार है– निचले न्यायालयों ने यथावत् स्थिति बनाये रखने का गलत आदेश दिया– सह– स्वामी को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद नहीं किया जा सकता– निर्णीत, आदेश अवैद्य है व अपास्त किये।

4. RRD 1985 पेज 753 से 759 जिसके अनुसार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 188– सार्वकालिक निषेधाज्ञा का वाद– वाद में प्रस्तुत तथ्यो एवं साक्ष्यो के बीच अन्तर होने की दशा में वाद खारिज किया गया।

पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड का अध्ययन किया गया एवं उभय पक्ष वकुलाय की बहस एवं बहस के दौरान् प्रस्तुत कानूनी उद्वहरणो में प्रतिपादित सिद्धान्तों पर मत्तन किया गया। उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन एवं वकुलाय की बहस पर मनन के पश्चात् धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने हेतू विधि द्वारा निर्धारित बिन्दुओ को निम्नानुसार निर्णित किया जाता है:–

1. <u>प्रथम दृष्ट्या मामला बनना</u> :–

प्रथम दृष्ट्या मामला बनने का आधार बिन्दु रेकर्ड व मौका स्थिति हो सकते हैं। राजस्व रेकर्ड पत्रावली पर उपलब्ध हैं। पत्रावली पर उपलब्ध रेकर्ड ऑफ राईट्स जमाबंदी सवंत् 2072 से 2075 में दर्ज इन्द्राज के अनुसार विवादित भूमि मौजा बारवा तहसील बाली के खसरा नंबर 1476 रकबा 0.48 हैक्टर, खसरा नंबर 1477 रकबा 0.01 हैक्टर, खसरा नंबर 1478 रकबा 0.15 हैक्टर, खसरा नंबर 1479 रकबा 0.24 हैक्टर, खसरा नंबर 1480 रकबा 0.21 हैक्टर, खसरा नंबर 1481 रकबा 0.65 हैक्टर, खसरा नंबर 1482 रकबा 0.23 हैक्टर, खसरा नंबर 1483 रकबा 0.24 हैक्टर, खसरा नंबर 1484 रकबा 0.25 हैक्टर खसरा नंबर 1485 रकवा 0.25 हैक्टर, खसरा नंबर 1486 रकबा 0.21 हैक्टर खसरा नंबर 1487 रकबा 0.29 हैक्टर कुल खसरा–12 कुल रकबा 3.21 हैक्टर प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण संख्या 01 से 03 एवं अन्य सह खातेदारो के संयुक्त सह खातेदारी की अविभावित भूमि है। इस बिन्दु को लेकर दोनों पक्षो में कोई विवाद नहीं है, अर्थात् दोनो ही पक्ष इस तथ्य को स्वीकार करते है कि भूमि संयुक्त सह खातेदारी की अविभाजित कृषि भूमि है। विवाद इस बिन्दु को लेकर हैं कि प्रार्थी का कहना हैं कि अप्रार्थीगण उसके शांतिपुर्ण कब्जे काश्त में दखलन्दाजी नहीं करे, इस हेतु अप्रार्थीगण को प्रार्थी के हिस्से, बंट कब्जे

पेज लगातार.....04

Scanned by CamScanner

की भूमि में किसी प्रकार की दखलन्दाजी से अस्थायी निषेधाज्ञा से पावन्द किया जावे, इसके विपरित अप्रार्थीगण की दलील हैं कि विधि अनुसार प्रत्येक सह खातेदार का ईन्च–ईन्च पर कब्जा माना जाता है, प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में अपने कब्जे काश्त की भूमि के खसरा नंबर का खुलासा नहीं किया है, तथा रेकर्ड में दर्ज सभी सह खातेदारो को वाद एवं प्रार्थना पत्र में पक्षकार नहीं बनाया गया है। जिससे प्रथम दृष्ट्या मामला ही प्रार्थी के पक्ष में बनना साबित नहीं हैं। दोनो ही पक्ष रेकर्डेड खातेदार दर्ज है, जिस पर दोनो पक्षो के बीच किसी प्रकार विवाद नहीं है, जिससे यह मानने में कोई आपत्ति नहीं हैं कि दोनों ही पक्षो का अपने–अपने हिस्से बंट की भूमि पर काश्त व कब्जा हो, प्रार्थी के द्वारा वादग्रस्त भूमि के विभाजन का वाद पेश नहीं किया गया है, केवल सार्वकालिक निषेधाज्ञा का वाद एवं साथ में उक्त अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र पेश किया गया है, जिस प्रार्थना पत्र को खारिज किये जाने पर भी प्रार्थी का वाद लंबित रहेगा, जिसमें शहादत इत्यादि के माध्यम से यदि यह साबित हो जाता है कि अप्रार्थीगण प्रार्थी के कृषि कार्य में रूकावट करते है, तो चाहा गया अनुतोष प्रार्थी को वैसे भी प्राप्त हो जावेगा। संयुक्त सह खातेदारी की भूमि में सह खातेदार के विरूद्व किसी प्रकार की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी करने की अनुमति विधि के प्रावधान प्रदान नहीं करते है, तथा साथ ही ऐसा कोई सबूत न्यायालय के समक्ष नहीं है, जो इस तथ्य की पुष्टि करे कि अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी के हिस्से बंट की भूमि में काश्त में किसी प्रकार की रूकावट या व्यवधान उत्पन्न किया गया। उक्त विवेचन से प्रथम दृष्ट्या मामला प्रार्थी के पक्ष में बनना साबित नहीं होने से उक्त बिन्दु प्रार्थी के विरूद्व निर्णित किया जाता हैं।

2. **<u>सुविधा का संतुलन</u>** :–

बिन्दु संख्या–1 मे किये गये विवेचन के अनुसार प्रश्नगत प्रकरण मे जाहिर हैं कि विवादित भूमि मौजा बारवा तहसील बाली के खसरा नंबर 1476 रकबा 0.48 हैक्टर, खसरा नंबर 1477 रकबा 0.01 हैक्टर, खसरा नंबर 1478 रकबा 0.15 हैक्टर, खसरा नंबर 1479 रकबा 0.24 हैक्टर, खसरा नंबर 1480 रकबा 0.21 हैक्टर, खसरा नंबर 1481 रकबा 0.65 हैक्टर, खसरा नंबर 1482 रकबा 0.23 हैक्टर, खसरा नंबर 1483 रकबा 0.24 हैक्टर, खसरा नंबर 1484 रकबा 0.25 हैक्टर खसरा नंबर 1485 रकबा 0.25 हैक्टर, खसरा नंबर 1486 रकबा 0.21 हैक्टर खसरा नंबर 1487 रकबा 0.29 हैक्टर कुल खसरा–12 कुल रकबा 3.21 हैक्टर प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण संख्या 01 से 03 एवं अन्य सह खातेदारो के संयुक्त सह खातेदारी की अविभाजित कृषि भूमि है। जिसमें विधि अनुसार प्रत्येक सह खातेदार का रेकर्ड में दर्ज हिस्सा के अनुसार कब्जा व काश्त माना जाता है, तथा सभी सह खातेदारो को अपने हिस्से बंट अनुसार काबिज रहने व काश्त करने का अधिकार है। यदि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत उक्त अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है, तो वाद लंबित रहेगा, वाद विचारण में साक्ष्य इत्यादि के माध्यम से यदि प्रार्थी के पक्ष में वाद साबित हो जाता है, तो प्रार्थी को चाहा गया अनुतोष प्राप्त हो जावेगा। इसके विपरित यदि संयुक्त सह खातेदारी की भूमि के संबध में अप्रार्थीगण के विरूद्व किसी प्रकार की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है, तो निःसंदेह अप्रार्थीगण को असुविधा होगी। उक्त विवेचन से सुविधा का संतुलन का बिन्दु भी प्रार्थी के विरूद्व तथा अप्रार्थीगण के पक्ष में निर्णित किया जाता हैं।

<u>3.अपूर्णीय क्षति का मामला</u> :–

बिन्दु संख्या–1 व 2 मे किये गये विवेचन के अनुसार प्रार्थना–पत्र निर्णित होने पर भी वाद लम्बित रहेगा, जिसमे यदि वाद प्रार्थी के पक्ष में साबित हो जाता है, तो उसे चाहा गया अनुतोष प्राप्त हो जावेगा, जिससे प्रार्थना–पत्र खारिज किये जाने पर प्रार्थी को तात्कालिक किसी प्रकार की अपूर्णीय क्षति होना प्रमाणित नही होने से उक्त बिन्दु भी प्रार्थी के विरूद्व व अप्रार्थीगण के अप्रार्थीगण के पक्ष में निर्णित किया जाता हैं।

धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 मे अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने हेतु विधि द्वारा स्थापित तीनो बिन्दुओ की कसौटी पर प्रार्थी का उक्त प्रकरण खरा नहीं उतरने से वादग्रस्त भूमि मौजा बारवा तहसील बाली के खसरा नंबर 1476 रकबा 0.48 हैक्टर, खसरा नंबर 1477 रकबा 0.01 हैक्टर, खसरा नंबर 1478 रकबा 0.15 हैक्टर, खसरा नंबर 1479 रकबा 0.24 हैक्टर, खसरा नंबर 1480 रकबा 0.21 हैक्टर, खसरा नंबर 1481 रकबा 0.65 हैक्टर, खसरा नंबर 1482 रकबा 0.23 हैक्टर, खसरा नंबर 1483 रकबा 0.24 हैक्टर, खसरा नंबर 1484 रकबा 0.25 हैक्टर खसरा नंबर 1485 रकबा 0.25 हैक्टर, खसरा नंबर 1486 रकबा 0.21 हैक्टर खसरा नंबर 1487 रकबा 0.29 हैक्टर कुल खसरा–12 कुल रकबा 3.21 हैक्टर जो कि अधिकार अभिलेखों में संयुक्त सह खातेदारी की कृषि भूमि है, के संबध में किसी प्रकार की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाना उचित प्रतीत नहीं है।

पेज लगातार.....05

उप - खण्ड अधिकारी, बाली

Scanned by CamScanner

//05//

राजस्व विविध प्रकरण संख्या 91/2014 RCMS No. 2014/00127

अनवान सम्पतराज बनाम कैलाशकुमार वगैरा अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

लिहाजा प्रार्थना पत्र प्रार्थी बाबत् अस्थायी निषेधाज्ञा खारिज किया जाता है। मिसल फैसल शुमार होकर नंबर से कम होकर मूल राजस्व वाद संख्या 85/2014 अनवान सम्पतराज बनाम कैलाशकुमार वगैरा अंतर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के संलग्न हो।

Sreenidhi

(श्री श्रीनिधिं बी.टी.)
आई.ए.एस.
उप - खण्ड अधिकारी, बाली
पदेन सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, बाली

आदेश आज दिनांक 11-11-2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Sreenidhi

पदेन सहायक कलक्टर एवं
उप - खण्ड अधिकारी, बाली
उपखण्ड अधिकारी, बाली

न्यायालय उप - खण्ड अधिकारी ★ बाली, जिला - पाली (राज.) ★

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Sreenidhi B T
Date: 2019.12.06 12:26:07 IST
Reason: SelfAttested
Location: